

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 14.04.2025

कूटरचना कर अवैध पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 रामबहादुर यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2025 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 12 पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित अभियुक्त अर्जुन कुमार मौर्या को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा छल पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर माता-पिता, निवास स्थान व जन्म तिथि बदलकर पासपोर्ट बनवाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन कुमार मौर्या पुत्र रामवृक्ष मौर्या निवासी जंगल चंवरी अयोध्या टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 263/2025 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 12 पासपोर्ट अधिनियम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामबहादुर यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कृष्णचन्द यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. कां0 सुभाष यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर